न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर
अपील संख्या 15 / 2019

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 रामसिंह पुत्र श्योकरण ।
2 सुभाषचन्द्र पुत्र श्योकरण समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम मैनपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 बूंटीराम पुत्र पीरूराम।
2 सुनिल पुत्र पीरूराम।
3 श्रवणी देवी पत्नी पीरूराम।
4 नाहर सिंह पुत्र श्योकरण।
5 किताब पुत्री श्योकरण।
6 वेदकोर पुत्री श्योकरण।
7 कमला पुत्री श्योकरण।
8 सजना पत्नी श्योकरण समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम मैनपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
9 शाखा प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक पौंख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
10 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील विरूद्व अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट
1955 विरूद्व निर्णय व अंतिम डिक्री बअदालत
उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी दावा उनवानी
रामसिंह बनाम सुभाष वगैरह दावा बाबत खाता
विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 281/2014
निर्णय व डिक्री दिनांक 21.01.2019

उपस्थित

1. श्री अमित कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री रामचन्द्र अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांक:– 27.03.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा दावा संख्या 281/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.01.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट रामसिंह ने एक दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अपीलांट संख्या 2 एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 के विरूद्व अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था दिनांक 17.06.2016 को न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई थी तथा विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया था। तत्पश्चात 26.07.2017 को न्यायालय द्वारा इस वाद में विवादित भूमि खसरा नम्बर 152 व 155 वाके ग्राम मैनपुरा तहसील उदयपुरवाटी के दोनों खसरो 152 व 155 में से बराबर हिस्से करने हेतु पुनः तहसीलदार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उदयपुरवाटी को तहरीर जारी की गई। पत्पश्चात दिनांक 04.09.2018 को अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26.07.2017 के आदेश को अपास्त कर दिया तथा विभाजन प्रस्ताव के सम्बंध में पुनः तहसीलदार उदयपुरवाटी को निर्देशित किया। तत्पश्चात दिनांक 21.01.2019 का अचानक ही उसी दिन ही तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव को पत्रावली पर लिया गया तथा अपीलांट को सुने बिना अन्तिम डिक्री जारी कर दी गई। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विभाजन प्रस्ताव दिनांक 04.09.2018 का आदेश विधि विरूद्व है विचारण न्यायालय में अपीलांट को सुना नही गया नियम 18 से 21 की पालना नही की गई। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव पर किसी पक्षकार की आपत्ति दर्ज नही की गई है यह विचाराधीन आदेश में भी अंकित है विभाजन में दोनों पक्षकारों को बराबर बराबर 2.2150 हैक्टेयर भूमि दी गई है। विभाजन प्रस्ताव में कहा गलती है यह अपीलांट ने नही बताया है अन्तिम डिक्री का रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। अपील सारहीन है खारिज की जावे। अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2006–07 पेज 114 एवं ए.आई.आर. 2006 सुप्रिम कोर्ट पेज 2628 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में आदेशिका दिनांक 26.07.2012 में अकित है कि वकील वादी ने तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर मार्गदर्शन चाहा है वकील वादी ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
सीकर (कैम्प झुंझुनूं)

न्यायालय को बताया कि दोनों खसरों में से आधा–आधा हिस्सा कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाकर विभाजन किया जाता है तो हमे कोई आपत्ति नही है।

विचारण न्यायालय ने इस पर तहसीलदार से प्रस्ताव प्राप्त किये एवं बराबर बराबर रकबा उभयपक्ष को दिया जाकर अन्तिम डिक्री पारित की गई है। इसमें हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है फलस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

27.3.19

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर